



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, गेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237
क्रमांक:-एफ 5 (06)रा.आ./स्था./पदो./2025/ 2022 दिनांक: 28-09-2026

कार्यालय आदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर वर्ष 2025-26 में निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति कनिष्ठ सहायक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लागू पे मैट्रिक्स लेवल एल-05 में की जाती है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री अशोक कुमार मेघवाल	एस.सी.	05.02.1977	01.04.2025
2.	श्री हरिशंकर मीना	एस.टी.	08.02.1971	01.04.2025
3.	श्री सुधीर सिंह	सामान्य	04.05.1976	01.04.2025
4.	श्री प्रकाश बाजक	एस.सी.	27.08.1974	01.04.2025
5.	श्री मुराद अहमद	ओ.बी.सी.	08.07.1973	01.04.2025
6.	श्री रोहिताश्व कुमार	एस.सी.	17.10.1966	01.04.2025
7.	श्री रमेश चन्द सैन	ओ.बी.सी.	15.07.1970	01.04.2025
8.	श्री सत्यनारायण जाट	ओ.बी.सी.	24.07.1980	01.04.2025
9.	श्री बृजमोहन गुर्जर	ओ.बी.सी.	01.07.1977	01.04.2025
10.	श्री रूपसिंह	ओ.बी.सी.	01.06.1973	01.04.2025
11.	श्री राजवीर सिंह गुर्जर	दिव्यांग/ ओ.बी.सी.	01.01.1980	01.04.2025

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सभी पदोन्नत कर्मचारी अपने वर्तमान पद को ही अस्थायी रूप से यथा-आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण की तिथि से ही देय होगा। उक्त कर्मचारियों के पदस्थापन के आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

उक्त कर्मचारीगण कार्य व्यवस्थार्थ अन्य जिला आयोगों/सर्किट बैंचों में कार्यरत हैं वे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के समक्ष पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करेंगे।

(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 5 (06)रा.आ./स्था./पदो./2018/2023-2030 दिनांक: 28-09-2026
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, भरतपुर।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिरौही, डूंगरपुर, बून्दी, जालौर, कोटा, अलवर एवं सवाईमाधोपुर।
6. लेखा शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार